

राजस्थान – सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ 4 (क्ष. का.ज.) निकाशि/2011 /321

दिनांक 19-06-2012

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय,
जयपुर संभाग।

विषय :- राज्य कर्मचारी गणना 76 (संदर्भित दिनांक 31.03.2012)।

संदर्भ :- एफ 12 (2) आयो/सांख्यिकी/आकाशि/2012/2067-74 दिनांक 14.06.2012।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संलग्न पत्र का अवलोकनार्थ करें। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारी गणना की सूचना राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। इसी क्रम में कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सूचना विभाग द्वारा तैयार करा कर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को भेजी जानी है।

संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों को भली प्रकार पढ़ लें एवं सूचना भिजवाने से पूर्व यह जाँच ले कि प्रपत्र के कोई कालम रिक्त नहीं हो। किसी कालम की सूचना शून्य है तो वहाँ शून्य अंकित करें। पांचों प्रपत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रपत्रों में भरी जाने वाली सूचना का आपस में सामन्जस्य एवं एक रूपता हो। राज्य कर्मचारी गणना सं. 76 के रिक्त प्रपत्र (WWW.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

अतः आपको निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय की राज्य कर्मचारी गणना संख्या – 76 निर्धारित प्रपत्रों में भरकर इस कार्यालय (सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) को दिनांक 22.06.2012 तक मय ई मेल adjaipurcce@gmail.com व सी.डी. (अंग्रेजी में Time new Roman Font में Excel में) टाइप करवाकर आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार guzitunia



सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर


क्रमांक :- एफ 4 (क्ष. का.ज.) निकाशि/2011 /

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

2. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

2

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 (सन्दर्भित दिनांक 31-3-2012)
 वेतन वर्गानुसार स्थायी एवं अस्थायी अराजपत्रित कर्मचारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों की संख्या का विवरण

प्रपत्र संख्या-1

का नाम: _____ शाखा: _____

वेतन वर्ग	अराजपत्रित कर्मचारी			राजपत्रित कर्मचारी			कुल योग (5+8)	कुल कर्मचारियों में से										योग कॉलम (25+30)						
	स्थाई	अस्थाई	योग	स्थाई	अस्थाई	योग		अराजपत्रित कर्मचारी					राजपत्रित कर्मचारी											
								पुरुष					महिला											
								अनु. जाति	अनु. ज. जा.	पिछड़ी जाति	सामान्य	योग	अनु. जाति	अनु. ज. जा.	पिछड़ी जाति	सामान्य	योग	योग (14+19)	अनु. जाति	अनु. ज. जा.	पिछड़ी जाति	सामान्य	योग	
2																								
200 से कम																								
100-7000																								
100-8000																								
100-9000																								
100-10000																								
1000-15000																								
1000-20000																								
1000-25000																								
1000-30000																								
1000-35000																								
1000-40000																								
1000-45000																								
1000-55000																								
000 से अधिक																								
योग																								

1

प्रपत्र-1 को भरने के निर्देश:-

1. स्थाई कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे कर्मचारियों से है जो गणना दिनांक 31-3-12 को किसी भी पद पर स्थाई तथा:
 - (अ) जिनके वेतन का भुगतान कन्सोलिडेटेड फण्ड से होता है।
 - (ब) जो राज्य सरकार के किसी निश्चित नियम (आर.एस.एस.आर.) से प्रभावित होते हैं तथा
 - (स) जिनका वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान (रेगुलर स्केल्स) एवं पदेन भत्ते के अनुरूप किया जाता है।
2. अस्थाई कर्मचारियों से तात्पर्य ऐसे कर्मचारियों से है जो उक्त तीनों शर्तों को तो पूर्ण करते हैं परन्तु गणना दिनांक 31-3-12 को किसी भी पद पर स्थाई नहीं हैं।
3. स्थाई तथा अस्थाई दोनों प्रकार के कर्मचारियों में निम्नांकित कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया है:-
 - (क) जो कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर रखे जाते हैं।
 - (ख) जिनका वेतन नियमन किसी निर्धारित वेतनमान के अनुरूप नहीं होता है।
 - (ग) जो वर्कचार्ज के आधार पर रखे जाते हैं।
4. कर्मचारियों को उनके मूल वेतन तथा विशेष वेतन के योग के अनुसार कॉलम नम्बर-2 में दिखाए गए वेतन वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस वेतन में महंगाई भत्ते को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का विवरण प्रपत्र संख्या-2 के कॉलम नं.4 में तथा राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रपत्र संख्या-3 के कॉलम नं.4 में अंकित किया जाता है।

5

प्रपत्र संख्या-2

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2012
वेतन वर्गानुसार अराजपत्रित कर्मचारियों का माह मार्च/अप्रैल को देय वेतन

विभाग का नाम: _____

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वेतन वर्ग	वेतन एवं विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते (कृपया मदवार अंकित करें)					योग (3+4+9)
				शहरी	मकान	सवारी	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6000 से कम								
2	6000-7000								
3	7000-8000								
4	8000-9000								
5	9000-10000								
6	10000-15000								
7	15000 एवं अधिक								
योग									

प्रपत्र संख्या-2 को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

दिनांक 31-3-2012 को नए वेतनमान के आधार पर वेतन एवं भत्तों की राशि अंकित की जानी है चाहे कर्मचारी का नए वेतनमान में स्थिरीकरण हुआ है या नहीं।

3

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2012
वेतन वर्गानुसार राजपत्रित कर्मचारियों का माह मार्च/अप्रैल को देय वेतन

विभाग का नाम: _____

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वेतन वर्ग	वेतन एवं विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते (कृपया मदवार अंकित करें)					योग (3+4+9)
				शहरी	मकान	सवारी	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25000 से कम								
2	25000-30000								
3	30000-35000								
4	35000-40000								
5	40000-45000								
6	45000-55000								
7	55000 एवं अधिक								
	योग								

प्रपत्र संख्या-3 को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

1. इस प्रपत्र में केवल राजपत्रित अधिकारियों की सूचना ही सम्मिलित की जानी है।
2. कॉलम-3 में वेतन व विशेष वेतन के रूप में दी गई राशि ही अंकित की जानी है।
3. कॉलम-4 में महंगाई भत्ते की राशि अंकित की जानी है।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारियों को देय शहरी भत्ता, मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता आदि पा रहे अधिकारियों की मासिक राशि को मदवार अन्य भत्ते कॉलम 5 से 8 में अंकित की जानी है।
5. कॉलम नम्बर 3, 4 व 9 का कुल योग कॉलम नम्बर-10 में दिया जाना है।
6. दिनांक 31-3-12 को नए वेतनमान के आधार पर वेतन एवं भत्तों की राशि।

(6)

प्रपत्र संख्या-4 (क)

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2012
संवर्गवार अराजपत्रित कर्मचारियों की सूचना

विभाग का नाम: _____

क्र.सं.	अराजपत्रित पदों के नाम	कुल कर्मचारियों की संख्या	वेतन एवं समस्त भत्तों के रूप में कुल भुगतान की गई राशि (₹)
1	2	3	4
1	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग		
2	मंत्रालयिक संवर्ग		
3	अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग		
4	अन्य जो उक्त में सम्मिलित नहीं हैं।		
	योग		

1. कॉलम नम्बर-3 में संबंधित अराजपत्रित कर्मचारियों की संवर्ग संख्या दी जानी है, इसका योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-5 के योग से मिलना चाहिए।
2. कॉलम नम्बर-4 का योग प्रपत्र संख्या-2 के कॉलम-10 के योग से मिलना चाहिए।
3. कॉलम नम्बर-3 का योग प्रपत्र संख्या-5 (क) के कॉलम नम्बर-10 के पूर्ण योग से भी मिला होना चाहिए।

(5)

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2012
संवर्गवार राजपत्रित अधिकारियों की सूचना

विभाग का नाम: _____

क्र.सं.	राजपत्रित पदों के नाम	कुल कर्मचारियों की संख्या	वेतन एवं समस्त भत्तों के रूप में कुल भुगतान की गई राशि (₹)
1	2	3	4
1	विकित्सा संवर्ग (सभी प्रकार के)		
2	शिक्षा संवर्ग		
3	कृषि संवर्ग		
4	सांख्यिकी संवर्ग		
5	तहसीलदार संवर्ग		
6	लेखा संवर्ग		
7	अभियन्ता संवर्ग		
8	पुलिस संवर्ग		
9	यांत्रिक संवर्ग		
10	पशुपालन संवर्ग		
11	राज्य राजपत्रित संवर्ग		
12	अन्य जो उक्त में सम्मिलित नहीं है।		
	योग		

1. कॉलम नम्बर-3 में संबंधित राजपत्रित अधिकारियों की संवर्ग संख्या दी जानी है, इसका योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-8 के योग से मिलना चाहिए।
2. कॉलम नम्बर-4 का योग प्रपत्र संख्या-3 के कॉलम-10 के योग से मिलना चाहिए।
3. कॉलम नम्बर-3 का योग प्रपत्र संख्या-5 (ख) के कॉलम नम्बर-11 के पूर्ण योग से भी मिला होना चाहिए।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76दिनांक 31-3-2012
जिलेवार एवं वेतन वर्गानुसार अराजपत्रित कर्मचारियों की सूचना

भाग का नाम: _____

संख्या

सं.	जिले का नाम	6000 से कम	6000-7000	7000-8000	8000-9000	9000-10000	10000-15000	15000 एवं अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अजमेर								
	अलावर								
	बांसवाड़ा								
	बाड़मेर								
	भरतपुर								
	भीलवाड़ा								
	बीकानेर								
	बूंदी								
	चित्तौड़गढ़								
	दूरो								
	झुंझपुर								
	गगानगर								
	जयपुर								
	जैसलमेर								
	जालौर								
	झालावाड़								
	झुझुनू								
	जोधपुर								
	कोटा								
	नागौर								
	पाली								
	प्रतापगढ़								
	सवाई माधोपुर								

क्र.सं.	जिले का नाम	6000 से कम	6000-7000	7000-8000	8000-9000	9000-10000	10000-15000	15000 एवं अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	सीकर								
25.	सिरोही								
26.	टोंक								
27.	उदयपुर								
28.	धौलपुर								
29.	बारां								
30.	दौसा								
31.	राजसमन्द								
32.	हनुमानगढ़								
33.	करौली								
34.	राज्य से बाहर								
	योग								

प्रपत्र के भरने हेतु निर्देश:

1. इस प्रपत्र में केवल अराजपत्रित स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाना है।
2. मुख्यालय का स्टाफ जिस जिले में मुख्यालय स्थित है, में सम्मिलित किया जाना है।
3. डेप्युटेशन इत्यादि पर जो स्टाफ लगा हुआ है, को उसी विभाग में सम्मिलित करते हुए कार्यरत जिले में ही दिखाया जाना है।
4. जिस कॉलेज में शून्य हो उसमें डेश (-) अंकित करें।
5. कॉलेज संख्या-10 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलेज संख्या-5 के योग से मिलान होना चाहिए।

6

8

ग. का नाम: _____

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2012
जिलेवार एवं वेंचन वर्गानुसार राजभवन अधिकारियों की सूचना

संख्या

प्रथम संख्या-5 (ख)

i.	जिले का नाम	25000 से कम	25000-30000	30000-35000	35000-40000	40000-45000	45000-55000	55000 एवं अधिक	योग
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अजमेर								
	अलवर								
	बांसवाड़ा								
	बाड़मेर								
	भरतपुर								
	भीलवाड़ा								
	बीकानेर								
	बून्दी								
	दिल्लीड़ाह								
	चुरू								
	डूंगरपुर								
	गंगानगर								
	जयपुर								
	जैसलमेर								
	जालौर								
	झालावाड़								
	झुन्झुनू								
	जोधपुर								
	कोटा								
	नागौर								
	पाली								
	प्रतापगढ़								
	सवाई माधोपुर								

(9)

(10)

क्र.सं.	जिले का नाम	25000 से कम	25000-30000	30000-35000	35000-40000	40000-45000	45000-55000	55000 एवं अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	सीकर								
25.	सिरोही								
26.	टांक								
27.	उदयपुर								
28.	धौलपुर								
29.	बांस								
30.	दौसा								
31.	राजसमन्द								
32.	हनुमानगढ़								
33.	करौली								
34.	राज्य से बाहर योग								

प्रपत्र के भरने हेतु निर्देश:

1. इस प्रपत्र में केवल अस्थाई एवं स्थाई राजपत्रित कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाना है।
2. मुख्यालय का स्टाफ जिस जिले में मुख्यालय स्थित है, में सम्मिलित किया जाना है।
3. डेप्युटेशन इत्यादि पर जो स्टाफ लगा हुआ है, को उसी विभाग में सम्मिलित करते हुए कार्यरत जिले में ही दिखाया जाना है।
4. जिस कॉलम में शून्य हो उसमें षेरा (-) अंकित करें।
5. कॉलम संख्या-10 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम संख्या-8 के योग से मिलान होना चाहिए।

(=)

(10)